# बिहार सरकार

## भवन निर्माण विभाग

### आदेश

आदेश संख्या-.......249......../पटना, दिनांक-....20.09.13....

अधीक्षण अभियंता, पटना भवन अंचल, पटना के पत्र संख्या-1569 दिनांक 04.07.2011 द्वारा अग्रसारित उनके दिनांक 24.06.2011 को नालंदा भवन प्रमंडल, बिहारशरीफ के अन्तर्गत कराये जा रहे निर्माण कार्यो के निरीक्षण प्रतिवेदन में राजकीय पॉलीटेनिक, अस्थावाँ, नालंदा के भवन निर्माण कार्य की प्रगति असंतोषजनक प्रतिवेदित किया गया। उक्त निरीक्षण प्रतिवेदन के आलोक में विभागीय पत्र संख्या-7095(भ) दिनांक 01.08.2011 द्वारा राजकीय पॉलीटेकनिक, अस्थावाँ के भवन निर्माण कार्य से संबंधित संवेदक मे0 दयानन्द प्रसाद सिन्हा एण्ड कम्पनी, जनता पथ, कंकड़बाग, पटना-20 से इस आशय का स्पष्टीकरण पूछा गया कि निर्माण कार्य की प्रगति असंतोषजनक होने के कारण क्यों नहीं आपके फर्म के निबंधन को कालीसूची में डाल दिया जाय, जिसके अनुपालन में संवेदक मे0 दयानन्द प्रसाद सिन्हा एण्ड कम्पनी ने अपने पत्र संख्या-डी0एन0पी0/भ0नि0वि0/पटना-2011/111 दिनांक 11.08.2011 द्वारा अपना स्पष्टीकरण उपलब्ध कराया।

संवेदक से प्राप्त स्पष्टीकरण के आलोक में मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग से राजकीय पॉलीटेकनिक, अस्थावाँ के भवन निर्माण कार्य से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन/मंतव्य की माँग की गयी। मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग से संवेदक से प्राप्त स्पष्टीकरण को समीक्षोपरान्त असंतोषजनक पाते हुए भवन निर्माण कार्य में दोषी पाये जाने के कारण कालीकृत करने की अनुशंसा संचिका में प्राप्त हुई है।

इस बीच समादेश याचिका संख्या-276/13, मे0 दयानन्द प्रसाद सिन्हा एण्ड कम्पनी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 12.03.2013 को पारित न्यायादेश के आलोक में पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा समीक्षोपरान्त मे0 दयानन्द प्रसाद सिन्हा एण्ड कम्पनी के निबंधन को पथ निर्माण विभाग के पत्रांक 1033(ई0) दिनांक 19.02.2013 द्वारा कालीकृत करने के आदेश को पुन: पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय आदेश ज्ञापांक 4298(ई0) दिनांक 10.07.2013 द्वारा प्रभावी रहने का निर्णय लिया जा चुका है।

उपर्युक्त क्रम में मे0 दयानन्द प्रसाद सिन्हा एण्ड कम्पनी का निबंधन पथ निर्माण विभाग से कालीकृत किये जाने के फलस्वरूप पुन: मे0 दयानन्द प्रसाद सिन्हा एण्ड कम्पनी से किसी भी तरह के अवशेष कार्यो को भवन निर्माण विभाग द्वारा कराना विधि सम्मत नहीं है। इसी परिप्रेक्ष्य में कार्यपालक अभियंता, नालंदा भवन प्रमंडल, बिहारशरीफ का दिनांक 01.08.2013 को दायर अनुपूरक प्रतिशपथ पत्र में मे0 दयानन्द प्रसाद सिन्हा एण्ड कम्पनी के निबंधन संख्या-अ0प्र0श्रेणी-1-113/2007 को पथ निर्माण विभाग द्वारा कालीकृत किये जाने के कारण मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार उपभाग के पत्रांक 2538 दिनांक 31.07.2013 से दिये गये निदेश में यह स्पष्ट है कि संवेदक से अब कोई कार्य कराना संभव नहीं है।

अत: रेफरेन्स केश संख्या-98/2012, मेसर्स दयानन्द प्रसाद सिन्हा एण्ड कम्पनी बनाम बिहार सरकार एवं अन्य के मामले में दिनांक 17.09.2013 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में समीक्षोपरान्त मे0 दयानन्द प्रसाद सिन्हा एण्ड कम्पनी से भवन निर्माण विभाग में किसी भी तरह के निर्माण कार्य करने का कोई आधार उनके निबंधन के कालीकरण के पश्चात् नहीं रह जाता है।

(हस्ताक्षर) 20/9/13
अभियंता प्रमुख-सह-
अपर आयुक्त-विशेष सचिव।

ज्ञापांक-भ0/अभि0प्र0(यो0)-04-मु0-18/2012....1307(भ)   पटना, दिनांक- 20.09.13

प्रतिलिपि-कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, नालंदा (बिहारशरीफ) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 20/9/13
अभियंता प्रमुख-सह-
अपर आयुक्त-विशेष सचिव।

ज्ञापांक-भ0/अभि0प्र0(यो0)-04-मु0-18/2012....1307(अ) पटना, दिनांक- 20.09.13

प्रतिलिपि-अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/योजना एवं विकास विभाग/जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव के सचिव(प्रा0), भ0नि0वि0/सभी मुख्य अभियंता,भ0नि0वि0/सभी अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभिंयता, भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/9/13

अभियंता प्रमुख-सह-
अपर आयुक्त-विशेष सचिव।

ज्ञापांक-भ0/अभि0प्र0(यो0)-04-मु0-18/2012....1307(अ) पटना, दिनांक- 20.09.13

प्रतिलिपि-मे0 दयानन्द प्रसाद सिन्हा एण्ड कम्पनी, जनता पथ, कंकड़बाग, रोड, पटना-20 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/9/13

अभियंता प्रमुख-सह-
अपर आयुक्त-विशेष सचिव।

ज्ञापांक-भ0/अभि0प्र0(यो0)-04-मु0-18/2012....1307(अ) पटना, दिनांक- 20.09.13

प्रतिलिपि-आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर डालने हेतु प्रेषित।

20/9/13

अभियंता प्रमुख-सह-
अपर आयुक्त-विशेष सचिव।

ज्ञापांक-भ0/अभि0प्र0(यो0)-04-मु0-18/2012....1307(अ) पटना, दिनांक- 20.09.13

प्रतिलिपि-सचिव, बिहार पब्लिक वर्क्स कन्ट्रैक्ट डिस्प्युट्स आर्बिट्रेशन ट्रिब्युनल, बैरक संख्या-11, मुख्य सचिवालय, पटना को Reference केश संख्या-98/12, मे0 दयानन्द प्रसाद सिन्हा एण्ड कम्पनी बनाम बिहार सरकार व अन्य के मामले में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। कृपया माननीय tribunal को 17.09.2013 के निदेश "Decision of the Engineer-in-chief" के रूप में इसे स्वीकार किया जाय।

20/9/13

अभियंता प्रमुख-सह-
अपर आयुक्त-विशेष सचिव।

ज्ञापांक-भ0/अभि0प्र0(यो0)-04-मु0-18/2012....1307(अ) पटना, दिनांक- 20.09.13

प्रतिलिपि- Learned Counsel Sri Ravi Bhushan Prasad, Advocate BCD/Learned Counsel Sri Binay Krishna, Advocate, BCD को माननीय tribunal को सूचना देने/पैरवी करने एवं दिनांक 23.09.2013 को अगली तिथि पर अभियंता प्रमुख के decision के रूप में प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित।

20/9/13

अभियंता प्रमुख-सह-
अपर आयुक्त-विशेष सचिव।